भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2719

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>एमआरटीपी अधिनियम के अन्तर्गत मामले</u>

2719. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तारीख के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कोई दण्ड नहीं दिया गया है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (ग): एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969 दिनांक 01.09.2009 से निरस्त कर दिया गया है और एमआरटीपी आयोग का दिनांक 14.10.2009 से विघटन कर दिया गया है।

*****